

114

CCF द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जाँच सूची

Proposal No./FP/MP/MRL/27/2017 Nohta-Damoh-Jabera PML प्रस्ताव में स्थल निरीक्षण
मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2018 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	विशेष	CCF द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1.	सीमा हेक्टेयर	3811 हेंट
2.	वन भूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डायवर्जन के लिए प्रस्ताव रेखा।	संलग्न सूची अनुसार।
3.	वन भूमि संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि।
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	नहीं है।
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	नहीं।
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि।	मिश्रित वन, पहाड़ी एवं चट्टानी IV_B
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	वन्यप्राणियों की उपस्थिति कम है।
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय परिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों	सुधार कार्यवृत्त एवं बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त अंतर्गत सम्मिलित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	इस वनभूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है, वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी।

15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	प्रकरणा पूर्वक्षण अनुजप्ति से संबंधित है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। संरक्षित क्षेत्र (पन्ना टाईगर रिजर्व) की दूरी लगभग 70 कि.मी. से अधिक है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रकरणा पूर्वक्षण अनुजप्ति से संबंधित है। अतः आवश्यकता नहीं है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से कटनी जिले के निवासियों को भविष्य में रोजगार प्राप्त होगा।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण-पत्र दिया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	परियोजना क्षेत्र सुधार कार्यवृत्त एवं बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त वनक्षेत्र है।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक विशिष्ट सिफारिशें।	उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है एवं परियोजना से नेचुरल गैस व पेट्रोलियम की कमी की पूर्ति होगी एवं क्षेत्रीय निवासियों को भविष्य में रोजगार प्राप्त होगा। अतः आवेदक विभाग द्वारा आवेदित क्षेत्र पर बोर होल कर सर्व कार्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान :— जबलपुर
दिनांक :— ०४. 08.2018

20/08/18
(डॉ०एम० कालीदुर्द्ध, भा०व०स०)

मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर